

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 16/09/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में षष्ठम लघु सिंचाई गणना के लिए राशि रूपये 91.280 लाख (एकानबे लाख अठाइस हजार मात्र) के व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक रवीकृत्यादेश संख्या-42/2018-19, दिनांक -24.12.2018; Online AA- 1735, Dated- 31.12.2018
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 37- रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड़- 50C 470200101370759	91.280


आवंटित राशि – रु. एकानबे लाख अठाइस हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। यह आवंटन शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में निर्भत किया जाता है।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि रु. 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक रवीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी रवीकृति एवं रवीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधि.)(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थित में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
 14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथार्थीघ प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) 16.9.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 117

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/हजारीबाग/चतरा/मेदिनीनगर/गढ़वा/रामगढ़/धनबाद/बोकारो/कोडरमा/गोड्डा/गिरिडीह/दुमका/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


रॉची, दिनांक :— 16/09/19

ज्ञापांक :— 117


रॉची, दिनांक :— 16/09/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/ संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
 संयुक्त सचिव


 (अरुण कुमार सिंह) 19
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक १०२

मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष-101-सतही जल,

उप शीर्ष-37-रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरियोंशेन स्टैटिस्टिक

विस्तृत शीर्ष -07-59 (अन्य व्यय)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध - 300.00 लाख

विपत्र कोड- 50C470200101370759

(राशि लाख में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	मुख्य अधियंता प्रक्षेत्र	प्रशासनिक स्वीकृति का		वर्ष 2019-20 में			(राशि लाख में)			
			प्रसंग	राशि	मार्च'19 तक व्यय	पूर्ति में निर्धारित आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	योजना पर कुल अद्वतन आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	अन्युक्ति
J	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMMIR001)				0.0000	0.000	8.0000	8.000	8.000	58159	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, नैदिनीगढ़ (PLMMIR041)				0.0000	0.000	7.7800	7.780	7.780	58160	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMIR001)				0.0000	0.000	13.0000	13.000	13.000	58161	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)	लघु सिंचाई, रांची			0.0000	0.000	6.0000	6.000	6.000	58162	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMIR001)	सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य	षटम् लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य	Offline प्रसंग- 42 / 18-19 24.12.18 Online प्रसंग- 1735 / 31.12.18	981.403	0.0000	3.5000	3.500	3.500	58163	
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)				0.0000	0.000	6.0000	6.000	6.000	58164	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)				0.0000	0.000	4.5000	4.500	4.500	58165	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMIR014)				0.0000	0.000	4.5000	4.500	4.500	58166	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, निरिडीह (GRDMIR001)	लघु सिंचाई दुमका			2.7000	0.000	11.0000	11.000	13.700	58167	
11	लघु सिंचाई लपाकण प्रमंडल दुमका शिवर (DGRMIR001)				0.0000	0.000	12.0000	12.000	12.000	58168	
	कुल				981.403	2.7000	0.000	91.2800	91.280	93.980	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधीक्ष.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सचिव

(अलग कुमार सिंह)
उप मुख्य सचिव
16.९.१९

दिनांक १६/९/१९

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1